आधार पर ऐसा करने का निदेश दिया जाता है कि उसका प्रकाशन केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी के हितों पर या सरकारी सेवकों और सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी के बीच या भारत सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के बीच अच्छे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ;

(ञ) सेवा संगम, सरकार के माध्यम के सिवाय किसी विदेशी प्राधिकारी को न तो कोई पत्र लिखेगा या न ही कोई पत्र-व्यवहार करेगा जिसे सरकार को विचारित करने का अधिकार होगा ;

(ट) सेवा संगम कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा या ऐसा कार्य करने में सहायता नहीं करेगा जो यदि सरकारी सेवक द्वारा किया जाता तो उससे केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के किसी उपबंध का उल्लंघन होता है ; और

( ) सेवा संगम या उसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा सरकार या किसी सरकारी प्राधिकारी को संबोधित पत्रों में असम्मानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

7. सदस्यता का सत्यापन :

(1) सेवा संगम की मान्यता के प्रयोजन के लिए सदस्यता का सत्यापन ऐसे अंतरालों पर वेतन पत्रकों में चैक-आफ-पद्धति द्वारा और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी सरकार आदेश द्वारा विहित करे ।

(2) सरकार, किसी भी समय, सदस्यता के विशेष सत्यापन के लिए आदेश कर सकेगी, यदि जांच कराने के पश्चात् उसकी यह राय है कि सेवा संगम के नियम 5 के खण्ड (अ) के उपखण्ड (1) के अधीन अपेक्षित सदस्यता नहीं रह गई है ।

8. मान्यता वापस लेना :

यदि, सरकार की राय में, इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त कोई सेवा संगम नियम 5 या नियम 6 या नियम 7 में उपवर्णित शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहता है तो सरकार, सेवा संगम को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे सेवा संगम को दी गई मान्यता वापस ले सकेगी ।

9. शिथिलीकरण :

सरकार, इन नियमों में से किसी भी नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि वह किसी सेवा संगम के बारे में उचित समझे, अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी या शिथिल कर सकेगी ।

10. निर्वचन :

यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है या मान्यता की शर्तों को पूरा करने के संबंध में कोई विवाद है तो वह सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(जे०एस० माथुर)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
माया पुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।

विकास केन्द्र (ग्रोथ सेंटर) योजना को समाप्त किया जाना

*651. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल 1994 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "ग्रोथ सेंटर स्कीम शेल्व्ड" शीर्षक से

प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि सरकार देश में विकास केन्द्रों की स्थापना करने से संबंधित इस योजना को चालू रखने पर पुनर्विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं, सरकार द्वारा मार्च, 1994 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है तथा इस राशि से कुल कितने केन्द्र स्थापित । किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सरकार ने योजना की समीक्षा करने खासतौर पर इसके अधिक कारगर कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया गया है ।

(ग) अब तक 39 केन्द्रों का अनुमोदन किया गया है आर 73.24 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता जारी की गयी है

Stir by Joint Action Committee of students

*652. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Joint Action Committee of students had been demanding recently that the Civil Services Examination, 1992 be declared a 'Zero Attempt' year and announced their intensification of the stir if their demand is not conceded by Government;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps taken by Government to deal with the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir. Such a demand has been made by a group of students calling themselves the Joint Action Committee.

(b) and (c) It is not possible to accept the demand of the Joint Action Committee to declare the Civil Services Examination 1992 as a "zero attempt".

Implementation of J.R.Y.

*653. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the targets set under J.R.Y. State-wise; during 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(b) how far these have been achieved; and

(c) the details of steps taken for effective implementation of the programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAM ESHWAR THAKUR): (a) to (c) The Jawahar Rozgar Yojana (JRY) is being implemented in the rural areas of the country w.e.f. 1-4-1989 with the main objective of providing additional gainful employment for the unemployed and under-employed persons, both men and women, in the rural areas. The progress of the Yojana is assessed in term of employment generated in the States|UTs in different years. The State-wise physical targets fixed and the achievements made during the year 1991-92, 1992-93 and 1993-94 are given in statement. (see below).

The physical and financial achievements made under the Yojana are monitored through Monthly. Quarterly and Annual Progress reports received from the State Govrenments